Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Speaker made valedictory reference on the conclusion of the 15th Session of the 16th Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का पन्द्रहवां सत्र, जो 18 जुलाई, 2018 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान, हमने 17 बैठकें कीं, जो लगभग 112 घंटे चली। वर्तमान सत्र में माननीय संसद सदस्य श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई, 2018 को 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई। इस चर्चा में 51 सदस्यों ने भाग लिया। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण थे और जिन्हें विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों के माध्यम से पहले उठाने के प्रयास किए गए थे।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय (financial), विधायी (legislative) और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2018-19 के लिए Supplementary Demands for Grants (General), फिर वर्ष 2015-16 के लिए Demands for Excess Grants, इस पर 04 घंटे 46 मिनट से अधिक की चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए। वर्तमान सत्र के दौरान 22 सरकारी विधेयक इंट्रोयूस किए गए। कुल मिला कर 21 विधेयक पारित किए गए।

पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 {The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017}, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 {The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018}, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Prevention of corruption (Amendment) Bill, 2018, व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 {The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018}, दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018}, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 {The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018}, संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 {The Constitution (One Hundred and Twenty Third

Amendment) Bill, 2018}, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 {The National Sports University Bill, 2018}, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 {The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018} और स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017 {The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017}. सदन में बहुत सारे पास किए गए बिलों में से ये बिल प्रमुख हैं।

मुझे सभा को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस सत्र में हम सभी ने मिलकर लोक सभा में समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विधेयक पारित किए हैं, जिनका व्यापक प्रभाव समाज के वंचित वर्गों के हितों पर पड़ेगा, जैसे संविधान (123वां) संशोधन विधेयक, जिसके पारित होने से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक रूप से गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसी प्रकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act} भी पारित किया गया है।

सत्र के दौरान, 75 तारांकित प्रश्नों (Starred Questions) प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष 285 तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर और 4140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर लगभग 534 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले (matters of urgent public importance) उठाए। यह संख्या जीरो ऑवर में उठाए गए विषयों की है, इसके अलावा माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 326 मामले भी उठाए। स्थायी समितियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सभा में 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा (Short Duration Discussion) भी हुई। चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ पूरी हुई। अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 64 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में 3 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों द्वारा 1290 पत्र सभापटल पर रखे गए। सत्र के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों (Private Members) के 128 विधेयक introduce (पुर:स्थापित) किए गए। श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा नौवें सत्र के दौरान 5 अगस्त, 2016 को पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 {Sixth Schedule of the Constitution (Amendment) Bill, 2015} पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 3, अगस्त 2018 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

इस सत्र में उपलब्ध 29 घंटों में से सभा ने 20 घंटे और 43 मिनट ज्यादा देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इतने ज्यादा घंटे बैठे, लेकिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई, मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूं।

माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सभा की कार्यवाही के सुचारू और रचनात्मक संचालन पर बल दिया है, जो कि संसद की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि यह सत्र हाल ही के पिछले दो उत्पादक सत्रों अर्थात् बजट सत्र 2017 का दूसरा भाग (11वां सत्र) एवं वर्ष 2017 का मानसून सत्र (12वां सत्र) की तुलना में ज्यादा productive एवं संतोषजनक रहा है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा पीठासीन अधिकारियों को प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं, माननीय कलराज मिश्र जी का भी धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं।

सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को भी धन्यवाद देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी एवं सभा की ओर से सभी सदस्यों को और देशवासियों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभ कामनाएँ देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, अब हम सभी वंदेमातरम् के लिए खड़े होंगे।

15 45 hrs

NATIONAL SONG

(National Song was played.)

HON. SPEAKER: Now, the House stands adjourned *sine die.*

15 47 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded

* Not recorded.

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

* Moved with the recommendation of the President.

* Not recorded.